

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलर जज

तुजतान सरकार बनाम .....

जेंब. न. न. न.  
उपरोक्त  
हुकम  
में जा.

तारीख हुकम

मुकदमा नं० ..... निर्णय दि०.....

29.7.21

पञ्जाबली निर्णय हेतु पेठा। वाद के तथ्यों व अन्त  
स्टेट का अन्तर्लोकन किया गया।  
वाद अनुसार ग्राम हीगांग की समत 2067-73 की जमावन्दी  
के खाता सं. 51 व 52 में ~~जमा~~ <sup>21645</sup> ~~2633~~ <sup>2245</sup> ~~2633~~  
विशेष पंजीकृत दस्तावेज सं. 18/2245 दि. 6.5.13 द्वारा  
जम्मा: 46.5 व 26.33 मूल 72.83 बिघा भूखे  
मैलाबा-गन्ड पी.सू. कन्वेया से लालिवा देवी व सोमवाई  
द्वारा जम की गयी। पंजीकृत दस्तावेज सं. 18  
6.5.13 द्वारा खाता सं. 51 की 49.6 बिघा <sup>2245</sup> दि.  
रामपति वगैरह से लालिवा देवी व सोमवाई द्वारा जम की  
गयी। पंजीकृत दस्तावेज सं. 21/2245 दि. 6.5.13  
द्वारा खाता सं. 52 की 26.33 बिघा भूखे भूखे विवेक  
मैलाबा से लालिवा देवी व सोमवाई द्वारा जम की गयी।  
इस तीनों केषनामों के ना. सं. 836, 837 व 839 (जम्मा  
ना. सं. 827 (गोदपडा), 828 (विरासत) व 830 (कल्याण)  
की अपील दुर्रम वगैरह द्वारा न्या. ADM में किये  
जाने पर अपील सं. 17, 18, 19 के निर्णय दि. 11.6.14 द्वारा  
किये जाकर उपरोक्त नामान्तरण निरस्त कर दिये गये।  
अपीलकर्तियों का अनुतोष खाता सं. 535 54 की भूखे  
से था, लेकिन ना. सं. 827, 828 व 830 से खाता  
सं. 51 व 52 भी प्रभावित होने के कारण सिव्यु आदेश  
न्या. ADM द्वारा निर्णय की खाता सं. 535 54 के  
ख. नं. तक प्रभावी होने का निर्णय दि. 22.3.17 को  
किया गया।  
सिव्यु निर्णय की पालना नहीं होने के कारण ADM न्या.  
के निर्णय दि. 11.6.14 की पालना में खाता सं. 51 व 52  
के राखल रिहाई की खातेदारी पारिवारिगाण के नाम दर्ज  
हो गयी।  
इस आधार पर वादीगाण केषनामों अनुसार पुनः खातेदारी दर्ज  
करवाने के आदेश की है।  
अतः ग्राम हीगांग के खाता सं. 54 व खाता सं. 53 में  
लालिवा देवी व सोमवाई के केषनामा सं. 18, 20 21 दि. 6.5.13  
में दर्ज बिघा तक खातेदार घोषित किया <sup>2245</sup> ~~2633~~  
तदनुसार सिव्यु उपरोक्त केषनामों अनुसार जमावन्दी की  
पुनः खातेदारी दर्ज करे व खातेदारी पत्रात सोमवाई (मृतक)  
का विरासत नामान्तरण दर्ज करे।  
आदेशानुसार डिप्टी व तहसील जमीन होकर पञ्जाबली फेल्ट  
शुमार हो।

(रवाला लालिवा)  
29.7.21